अतारांकित प्रश्न क्रमांक 1398

परि० (अ)

http://mid.mp.nic.in/euttarnew/UserLogin/ShowQuestionAnswer.aspx?Qid=qs3u4W...
22/11/2017, 4:26 PM

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी जिला राजगढ (ब्यावरा)म0प्र0

क्रमांक /योजना/मान्यता/2017/4875
प्रति

राजगढ दिनांक 13/11/17

प्राचार्य,
अशा.आर.के.एकेड़मी, ब्यावरा

विषय :- अंतिम चेतावनी – पत्र. ।
संदर्भ :- इस कार्यालय का पत्र क्रमांक /योजना/मान्यता/2017/4543 दिनांक 25.10.2017, पत्र क्र 4640 दिनांक 31.10.2017 एवं 4679 दिनांक 01.11.2017

उपरोक्त विषय एवं संदर्भित पत्र के क्रम मे लेख है कि आपको संदर्भित पत्र 4543 दिनाक 25.10.2017 द्वारा कारण बताओं सूचना पत्र जारी किया गया जिसमे आपके द्वारा दिनांक 30.10.2017 को जबाब प्रस्तुत किया गया । प्रस्तुत जबाब मे स्थिति स्पष्ट नही होने से आपको एवं शिकायतकर्ता को समक्ष मे उपस्थित होकर वाद प्रस्तुत करने हेतु सूचित किया गया । आप दिनांक 01.11.2017 को प्रथम सुनवाई में तथा शिकायतकर्ता तृतीय एवं अंतिम अवसर दिनांक 13.11.2017 को उपस्थित हुये तथा वाद एवं जबाब प्रस्तुत किया है ।

आपके एवं शिकायतकर्ता के वाद एवं जबाब से स्पष्ट होता है कि आपकी संस्था मे छात्र/छात्राओं को ईरादतन सजा/**PUNISHMENT** आदि नही दी गई है किन्तु छात्र/छात्राओं को शारीरिक दण्ड नही दिया गया प्रतीत होता है लेकिन ग्राउण्ड मे बच्चों को खड़े रखने की बात पालक द्वारा बतायी गयी । यह स्थिति उचित नही है । बच्चों के बाल--पन पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ सकता है । आप अपने स्टाफ की मिटिंग लेकर उनको समझाऐं कि बच्चों के प्रति सौहार्द व स्नेह का व्यवहार किया जाना चाहिए । आप अपने निर्देशें / व्यवहार मे उक्त बात को प्राथमिकता देवें ।

अतः आपको प्रथम बार पालक द्वारा शिकायत किए जाने व आंशिक सत्यता पाए जाने के कारण अंतिम चेतावनी दी जाती है फिर भी यद्धपि आपके द्वारा शासन के समस्त नियमों निर्देशें के पालन बावत वचनपत्र समक्ष में दिया गया है । उसका पालन किया जाना आपके लिए आवश्यक किया जाता है । यदि आपकी संस्था द्वारा किसी भी छात्र/छात्राओं को सजा/**PUNISHMENT** आदि की कार्यवाही की जाती है तो आर.टी.ई अधिनियम 2009 एवं 2011 के नियमों के तहत अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित की जायेगी ।

जिला शिक्षा अधिकारी
जिला राजगढ

पृ0क्रमांक /योजना/मान्यता/2017/4876
प्रतिलिपि,

राजगढ दिनांक 13/11/17

1. आयुक्त महोदय, लोक शिक्षण म.प्र. भोपाल की ओर सादर सूचनार्थ ।
2. आयुक्त महोदय, राज्य शिक्षा केन्द्र भोपाल की ओर सादर सूचनार्थ ।
3. कलेक्टर महोदय जिला राजगढ की ओर सादर सूचनार्थ ।
4. संयुक्त संचालक महोदय, लोक शिक्षण भोपाल संभाग भोपाल की ओर सादर सूचनार्थ ।
5. जिला परियोजना समन्वयक जिला शिक्षा केन्द्र जिला राजगढ ।
6. विकास खण्ड स्त्रोत समन्वयक, जनपद शिक्षा केन्द्र ब्यावरा की ओर भेजकर लेख है कि आप स्थानीय संस्था को तत्काल पत्र तामील करावें तथा पावती इस कार्यालय को उपलब्ध करावें ।

जिला शिक्षा अधिकारी
जिला राजगढ

अवर अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन,
स्कूल शिक्षा विभाग,
(कक्ष-3)